न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 21/2018

किस्म :– वाद–पत्र

दायर दिनांक : 27.02.2018

निर्णय दिनांक : 26.02.2026

अनवान

1– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

वादी

बनाम

1– प्रबंधक हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा माईन्स जरिये प्रभारी लोकेशन हेड एवं महाप्रबंधक दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– वादी अधिवक्ता– पैरोकार सरकार

प्रतिवादीगण अधिवक्ता– किशनलाल जाट,

निर्णय

वादी कि ओर से जरिये अधिवक्ता वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम राजपुरा पटवारी हल्का राजपुरा तहसील रेलमगरा में स्थित क्रमशः आराजी संख्या 566 से 583, व 587, 602 से 613, 861, 862, 873 से 883 कुल रकबा 323.14 बिघा भूमि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा– दरीबा माईन्स के नाम पर राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 74 के खाता संख्या 306 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमि आराजी संख्या 566 से 583, व 587, 602 से 613, 861, 862, 873 से 883 कुल रकबा 323.14 बिघा भूमि पर मौके पर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा– दरीबा माईन्स के द्वारा टेलिंग डेम के रूप में बना होकर मलबा एंव पानी शुद्वि की पाईप लाईन डाल रखी है। विपक्षी द्वारा उक्त भूमि का रूपान्तरण नही करवाया है। एवं न ही सक्षम अधिकारी से विधिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। यह कि विपक्षी द्वारा उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से गैर कृषि रूप में उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियम/राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानो का उल्लधंन होकर अतिचारी के रूप में आता है। यह कि विपक्षी के नाम की उक्त खातेदारी भूमि के उक्त आराजी के रकबे पर जहां टेलिंग डेम के रूप में बना होकर मलबा एंव पानी शुद्वि की

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पाईप लाईन है व उसकी किस्म रूप में अलग रूप से में जो भू- भाग उपयोग में लिया जा रहा है यह भाग का रकबा बिलानाम सरकार करने के साथ ही विपक्षी के उक्त रकबे में टेलिंग डेम की रूप में बना होकर मलबा एवं पानी शुद्धि की पाईप लाईन के रूप में अतिक्रमण बेदखली योग्य है। यह कि वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से बिना भूमि रूपान्तरित करवाये उसका अवैधानिक उपयोग किया जा रहा है। जिसके संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र का अवाधिकार व क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है। यह कि उक्त संबंध में प्रार्थी की ओर से विपक्षी को सूचित किया गया एवं उनका अवैध टेलिंग डेम के रूप में बना होकर मलबा एंव पानी शुद्धि की पाईप लाईन के संबंध में भी पटवारी हल्का द्वारा जांच की गई व मौका पर्चा तैयार किया गया जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। यह कि विपक्षी को अपना उक्त अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये कहा गया एवं उनके द्वारा अब तक भी अपना अवैधानिक उपयोग करना बंद नहीं किया गया जो प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि प्रार्थना पत्र राजहित में होने से निःशुल्क न्यायालय फिस पर अन्दर अवधि आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम राजपुरा पटवारी हल्का राजपुरा की आराजी संख्या कमशः आराजी संख्या 566 से 583, व 587, 602 से 613, 861, 862, 873 से 883 कुल रकबा 323.14 बिघा पर हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा- दरीबा माईन्स द्वारा टेलिंग डेम का मलबा एंव पानी शुद्वि की पाईप लाईन राजस्व प्रावधानों एवं नियमों का उल्लंघन किया है। जिससे उक्त भूमि का भाग बिलानाम सरकार घोषित किया जावें तथा विपक्षी के विरुद्व हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा- दरीबा माईन्स द्वारा बिना वैध स्वीकृति के टेलिंग डेम मलबा एंव पानी शुद्वि की पाईप लाईन के संबंध में बेदखली के आदेश फरमाया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादीग को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी कि ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 स्वीकार है।यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 से 06 व 08 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 07 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 09 कानुनी है। प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य वर्णित कर आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विशेष कथन यह कि विपक्षी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा को प्रार्थना पत्र में वर्णित सारी भूमिया धारा 11 राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम सन 1953 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा नियमानुसार आवाप्त कर के विपक्षी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा माईस को टेलिंग डेम स्थापित करने के उद्देश्य से दी गई। टेलिंग डेम के स्थापना एवं विस्तार प्रयोजन के लिये प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों का राजस्थान सरकार ने नियमानुसार आवाप्त कर, उक्त भूमियों का कब्जा विपक्षी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा माईस को नियमानुसार दिया। जिसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा माईस ने उपरोक्त सारी भूमियां का कुल रकबा 323 बिघा को राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं भूमि आवाप्ती

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अधिनियम के तहत उक्त भूमि का उपयोग नियमानुसार किया जा रहा है। यह कि उक्त भूमि के उपयोग में विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है, उक्त भूमि पर राजपुरा दरीबा माईन्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा द्वारा टेलिंग डैम स्थापित कर रखी है, उक्त भूमि पर माइंस से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वह वेस्ट मटेरियल इस डम्पींग यार्ड (टेलिंग डेम) जो कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर नियमानुसार बना हुआ है उस भूमि मे नियमानुसार डाला जा रहा है। यह कि भूमि आवाप्ति अधिनियम में यह बात वर्णित कर रखी है कि जिस प्रयोजन के लिये जो भूमि राज्य सरकार द्वारा आवाप्त की जाती है एवं उस प्रयोजनार्थ के स्थापना करने के लिये दी जाती है, उस भूमि का उपयोग उसी वांछित उद्देश्य के लिये किया जा सकता है, तथा उस भूमि की किस्म परिवर्तन कराने की आवश्यकता कानुनी रूप से नहीं है। चूकिं भूमि आवाप्ती अधिनियम में यह बात वर्णित है कि राज्य सरकार द्वारा जिस वांछित उद्देश्य के लिए भूमि आवाप्त एवं एवार्ड जारी की जाती है तथा उक्त अवाप्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है तो उस भूमि की किस्म परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर टेलिंग डेम, भूमि आवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत ही कानुनी रूप से बनाया गया है, जिसका उपयोग नियमानुसार उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता विपक्षी द्वारा नहीं की गई है। उक्त भूमि पर बना हुआ डम्पिंग यार्ड (टेलिंग डेम) हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड दरीबा माइंस ईकाई का ही हिस्सा है। इसलिए उक्त भूमि पर बने हुए डम्पिंग यार्ड (टेलिंग डेम) बनाने हेतु भूमि की किस्म कानुनी रूप से परिवर्तित कराने का कानुन में कोई प्रावधान नही है। इसलिए उक्त भूमि को कानुनी रूप से परिवर्तित कराने की आवश्यकता नहीं है, चुकिं यह भूमि आवाप्ती अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उक्त सारी भूमियां नियमानुसार आवाप्त कर, नियमानुसार एवार्ड जारी कर उक्त सारी भूमियां हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा माईन्स को माईन्स एवं टेलिंग डेम के स्थापना एवं विस्तार करने हेतु दी गई थी।

अतः प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी की ओर से प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोफ फरमाने की कृपा कराई जावे ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। दौराने बहस पत्रावली एंव उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। तो जाहीर आया कि राजस्व ग्राम राजपुरा पटवारी हल्का राजपुरा तहसील रेलमगरा में स्थित क्रमशः आराजी संख्या 566 से 583, व 587, 602 से 613, 861, 862, 873 से 883 कुल रकबा 323.14 बिघा भूमि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा– दरीबा माईन्स के नाम पर राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 74 में दर्ज है। विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर राजपुरा दरीबा माईन्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा द्वारा टेलिंग डैम स्थापित कर रखा है, उक्त भूमि पर माइंस से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वह वेस्ट मटेरियल इस

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमंगरा

डम्पींग यार्ड (टेलिंग डेम) जो कि उपरोक्त वर्णित भूमि पर नियमानुसार बना हुआ है उस भूमि में नियमानुसार डाला जा रहा है। यह कि भूमि आवाप्ति अधिनियम में यह बात वर्णित कर रखी है कि जिस प्रयोजन के लिये जो भूमि राज्य सरकार द्वारा आवाप्त की जाती है एवं उस प्रयोजनार्थ के स्थापना करने के लिये दी जाती है, उस भूमि का उपयोग उसी वांछित उद्देश्य के लिये किया जा सकता है, तथा उस भूमि की किस्म परिवर्तन कराने की आवश्यकता कानुनी रूप से नहीं है। चूकिं भूमि आवाप्ती अधिनियम में यह बात वर्णित है कि राज्य सरकार द्वारा जिस वांछित उद्देश्य के लिए भूमि आवाप्त एवं एवार्ड जारी की जाती है तथा उक्त अवाप्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है तो उस भूमि की किस्म परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर टेलिंग डेम, भूमि आवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत ही कानुनी रूप से बनाया गया है, जिसका उपयोग नियमानुसार उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता विपक्षी द्वारा नहीं की गई है। उक्त भूमि पर बना हुआ डम्पिंग यार्ड (टेलिंग डेम) हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड दरीबा माइंस ईकाई का ही हिस्सा है। इसलिए उक्त भूमि पर बने हुए डम्पिंग यार्ड (टेलिंग डेम) बनाने हेतु भूमि की किस्म कानुनी रूप से परिवर्तित कराने का कानुन में कोई प्रावधान नही है। इसलिए उक्त भूमि को कानुनी रूप से परिवर्तित कराने की आवश्यकता नहीं है, चुकिं यह भूमि आवाप्ती अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उक्त सारी भूमियां नियमानुसार आवाप्त कर, नियमानुसार एवार्ड जारी कर उक्त सारी भूमियां हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा माईन्स को माईन्स एवं टेलिंग डेम के स्थापना एवं विस्तार करने हेतु दी गई थी।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराने में असफल रहने प्रार्थी का प्रार्थना निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा